रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-75/2016/470/22-2-2016-17(140)/2012
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर** के सिद्वदोष **बन्दी कृपाल सिंह (बन्दी संख्या-16366) पुत्र स्व0 कल्लू सिंह, निवासी ग्राम-डुडैला, थाना-छजलैट (कांठ) जिला-मुरादाबाद वर्तमान पता-सिंह कालोनी गली नं0-04, थाना-कोतवाली रूद्रपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-622/1983** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 09-09-1985** को मा0 न्यायालय पंचम अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **मुरादाबाद** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

2- यह आदेश क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-75/2016/470(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
4-अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर ।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in